FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

सायलान चणना पुत्र लाला **बनाम** गैर सायलान तिलाराम पुत्र प्रभूराम वगैरह

किस्म मुकदमा **राजस्व प्रार्थना पत्र** नं. 14 / सन 2018

नम्बर	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18	**वकील सायल उपस्थित।** वकील सायल ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध गै0सा0 अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा आसरलाई पटवार हल्का आसरलाई मे ख0नं0 243 रकबा 26–05 बीघा आयी हुई है। सायल के कब्जे काश्त की कृषि भूमि में सायल के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में दखलंदाजी करने एवं मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैर सायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाकर पाबंन्द किये जाने की ईस्तदुआं की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस वकील सायल बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्ब प्रार्थना पत्र आज्ञा पारित किये जाने की ईश्तदुआं की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वकील सायल पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः आगामी पेशी तक गै0सा0 को विवादित आराजी के मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरुद्ध गै0 सा0 इस आशय की जारी की जाती हैं कि सरहद मौजा आसरलाई पटवार हल्का आसरलाई मे ख0नं0 243 रकबा 26–05 बीघा विवादित आराजी के रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै0 सा0 को आगामी पेश तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। वकील सायल तलबाना एवं नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें। तलबाना पेश होने पर गै0 सा0 को नोटिसेज हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। पत्रावली आयन्द दिनांक 13.03.2018 वास्ते जबाब प्रा0प0 पेश हो। SDO	77 24/1/18
13/3/18	व0 सा0 उप0। गै0सा0 नं0 1 व 2 की ओर से वकील [illegible] ने मूल वाद में पेश किया। जवाब प्रा0प0 पेश करने का समय चाहा [illegible] दिया जाकर है। पत्रावली आयन्दा दिनांक 14/5/18 को पेश हो। SDO	
26/3/18	वकील सायल द्वारा मूल वाद में [illegible] नकल डिक्री पेश करने से पत्रा0 आज पेश हुई। चूंकि मूल वाद में राजीनामा होने से डिक्री हो चुकी है। सायल का मूल वाद डिक्री होने	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	कि अब प्रा० पत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहने अथवा प्रभावहीन होने से वादी/ [illegible] का प्रा०पत्र खारिज किया जाता है। पत्रा कौशल कुमार होमगार्ड नम्बर [illegible] हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर होवे। आदेश जारी हो। [signature] 5/10